

2.4.24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिकता उपस्थित नहीं।
प्रकरण का मूल वाद अदम हजरी अदम पैरवी में खारिज
होने से इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष
नहीं रहती है।

अतः आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम-हजरी
अदम-पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय से इजलाह
सुनाया गया।

प्रकरण फौजदारी नम्बर से सम्बन्धित है।

(रियाजबी)

JAS

उपजज अदालत
गिरवा, उदयपुर

